ईसोल (ESOL) कोर्स यानी पाठ्यक्रम सितंबर 2007 – आवश्यक सूचना

अगर आप किसी ईसोल (यानी ऐसे लोगों के लिये अंग्रेज़ी के कोर्स जिनकी आम बोलचाल की भाषा अंग्रेज़ी नहीं है), के कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, तो आवेदन देने के बारे में पता लगाने के लिये आपको अपने सबसे पास वाले सेंटर यानी केंद्र या कॉलेज को टेलिफ़ोन करना या वहाँ जाना चाहिये।

ईसोल के कोर्स बहुत लोकप्रिय होते हैं इसलिये हो सकता है आपका नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाये और आपको कुछ देर तक इंतेज़ार करना पड़े।

कोर्स में शामिल होने पर फ़ीस कितनी लगती है?

अगर आप (या आपके पति/पत्नी) को नीचे लिखे कोई भी बेनिफ़ट मिलते हैं, तो आपके लिये ईसोल की क्लासें मुफ़्त होंगी **:**
जॉबसीकर्ज़अलावेंस (जेएसए)(Jobseekers Allowance (JSA))
काउंसिल टैक्स बेनिफ़िट (Council Tax Benefit)
हाउसिंग बेनिफ़िट (Housing Benefit)
इंकम सपोर्ट (Income Support)
वर्किंग टैक्स क्रेडिट (Working Tax Credit) (और आपकी आमदनी £15,050 से कम है)
पैंशन क्रेडिट्स (Pension Credits) (केवल गारंटी क्रेडिट (Guarantee Credit))

या अगर आपकी अपनी कोई आमदनी नहीं है और आप ऊपर लिखे किसी पर निर्भर हैं
या अगर आप एक कम्यूनिटी औफ़ेंडर (Community Offender) **हैं यानी आप समाज में रहते हैं और प्रोबेशन सर्विस आपकी निगरानी करती है या अगर आपकी उम्र 16 – 18 वर्ष के बीच है**

आपको जो बेनिफ़िट मिल रहे हैं उनकी जानकारी देने के लिये आपको उचित दस्तावेज़ अपने साथ लाने होंगे।

अगर आप कोई नौकरी करते हैं, तो आपका सबसे पास वाला कॉलेज आपको बता सकेगा कि आपके लिये ईसोल की क्लासें के दाम कितने होंगे।

आपको बेनिफ़िट नहीं मिलते हैं और आप काम भी नहीं करते हैं,
या
अगर आपकी सालाना आमदनी £15,050 से कम है, तो हो सकता है कि आपका लोकल कॉलेज कोर्स का खर्चा अदा करने में आपकी मदद कर सके ।

कृपया सबूत के लिये अपने साथ अपने दस्तावेज़ लेते आइये :
मिसाल के तौर पर, पेस्लिप, पी60 (P60s), कोई दूसरे टैक्स के फ़ॉर्म

अगर आप बेनिफ़िट के लिये आवेदन दाना चाहते हैं, तो :

- अपने लोकल जॉब सेंटर प्लस ऑफ़िस (Jobcentre Plus Office) में जाइये

नैशनल इंश्यौरैंस नंबर (National Insurance number) के लिये यह नंबर 0845 600 0643 डायल कीजिये या अपने लोकल जॉब सेंटर प्लस ऑफ़िस में जाइये।

आवश्यक सूचना – कॉलेज के कोर्स के लिये योग्यता

आगे की जानकारी के लिये कॉलेज से संपर्क कीजिये।

हमारे कुछ कोर्स 'फ़ुल कोर्स' हैं जिसका मतलब है कि आप उनकी पूरी फ़ीस अदा करेंगे।

हमारे बाकी के कोर्स की फ़ीस अदा करने में लर्निंग ऐंड स्किल्ज़ काउंसिल (एलएससी) Learning and Skills Council (LSC) मदद देती है और हो सकता है कि आपको अपने कोर्स के खर्चे के कुछ पैसे देने पड़ें या कुछ भी देने की ज़रूरत न हो। इसके बारे में पता करने के लिये आपको अपने लोकल कॉलेज से संपर्क करना चाहिये। संभव है कि कॉलेज की अपनी वैबसाइट या कोई एंरोलमैंट फ़ोन लाइन हो, या हो सकता है कि आपको कॉलेज में खुद जाकर पता करना पड़े।

नीचे प्रस्तुत टेबल यानी तालिका में कुछ ऐसे समूहों को सूची है जिनको कोर्स पूरा करने के लिये एलएससी से पैसे मिल सकते हैं।

इसमें सभी हालात शामिल नहीं किये गये हैं। आपका लोकल कॉलेज आपकी परिस्थिति के आधार पर आपको सलाह दे सकेगा।

कोर्स के लिये एलएससी से पैसे पाने के लिये योग्यता :	सबूत के उदाहरण
ब्रिटेन का नागरिक होना	यूके या नॉर्दन आयरलैंड के पासपोर्ट सर्टिफ़िकेट ऑफ़ नैचुरलाइज़ेशन ब्रितानी नागरिक के रूप में पंजीकरण
3 साल ब्रिटेन में निवास करना (या आपके पति/पत्नी या सिविल पार्टनर का कम से कम 1 साल तक यूके में निवास)	पासपोर्ट जिनमें मौहर लगी हो कि आपको *यूके में रहने की इजाज़त दी गयी है* या *अनिश्चित काल तक प्रवेश करने या बसे रहने की अनुमति दी गयी है* होम ऑफ़िस (Home Office) का पत्र
आप (या आपके पति/पत्नी या सिविल पार्टनर या बच्चे) को यूके की सरकार से शरणार्थी की हैसियत का दिया जाना नोट 1 देखिये	होम ऑफ़िस का दस्तावेज़
ईयू नैशनल यानी नागरिक (EU National) या ईईए (EEA) के माइग्रैंट वर्कर यानी प्रवासी कारीगर जो ईईए में 3 साल रह चुके हैं (या उनका पति/पत्नी या सिविल पार्टनर या बच्चा) नोट 2 देखिये	ईयू पासपोर्ट

नोट यानी टिप्पणियाँ

1. इसमें कोई भी ऐसे लोग शामिल हैं जिनको शरणार्थी की हैसियत देना स्वीकार नहीं किया गया है लेकिन जिनको सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट (Secretary of State) से देश में रहने की अनुमति दी गयी है, मानवता के आधार पर सुरक्षा (Humanitarian Protection) मिली है या डिस्क्रीशनरी लीव (Discretionary Leave) यानी विवेकाधीन छुट्टी या यूके की सरकार से यूके में आने या बने रहने के लिये असाधारण छूट मिली है, और जो ऐसा होने के बाद, यूके और द्वीपों में साधारण तौर पर रहे हैं, (या ऐसे किसी व्यक्ति का पति/पत्नी या सिविल पार्टनर या बच्चा)।

शरणार्थी की हैसियत माँगने वाले लोग जो 6 महीने बाद अपने आवेदन पर विचार होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो ऐसे कोर्स में शामिल होने के योग्य हो सकते हैं जिनको पूरा करने के लिये एलएससी से पैसे मिल सकते हैं।

2. यहाँ ईईए में शामिल होने वाले क्षेत्र हैं ईयू, आइसलैंड, लीखटैंस्टाइन, स्विटज़रलैंड और नॉरवे।